

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]	दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2014/कार्तिक 27, 1936	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 142
No. 4]	DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2014/KARTIKA 27, 1936	[N.C.T.D. No. 142

भाग—III
PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
अधिसूचना

दिल्ली, 18 नवम्बर, 2014

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2014

सं. एफ.17(199)/इंजि./डीईआरसी/2011-12/सी.एफ.3298/1987.—दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 के 36) की धारा 181 की उप-धारा (2) के खण्ड (जैडपी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम, अर्थात् दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2014 बना रहा है।

अध्याय 1: सामान्य

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

- (1) ये विनियम "दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम 2014" कहे जाएंगे।
- (2) ये विनियम दिल्ली राज्य में वितरण लाइसेंसधारियों पर लागू होंगे,
- (3) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, इन विनियमों में,

- (1) "अधिनियम" का अर्थ समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) से है;
- (2) "बचाई गई लागत" का अर्थ वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बिजली की खरीद पर या मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की वजह से वितरण में से बचाई गई वृद्धिशील लागत से है;

- (3) "बेसलाइन डेटा" का अर्थ प्रारंभिक खपत तथा/अथवा पहले के किसी भी डीएसएम कार्यक्रम के कार्यान्वयन की अवधि के लिए बिजली की मांग से है;
- (4) "ब्यूरो" का अर्थ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 2 की उपधारा (1) के तहत स्थापित ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो से है;
- (5) "आयोग" का अर्थ अधिनियम की धारा 82 की उप धारा (1) में निर्दिष्ट दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से है;
- (6) "लागत परिणामिता सूचकांक" का अर्थ डीएसएम कार्यक्रमों में किसी भी निवेश को आकर्षित करने के सूचक या जब इस तरह के किसी निवेश के अभाव में उत्पादित ऊर्जा और वितरित की गई ऊर्जा की लागत की तुलना की जाती है; से है।
- (7) "मांग पक्ष प्रबंधन" (डीएसएम) का अर्थ एक वितरण लाइसेंसधारी द्वारा अंतिम छोर के उपयोग यानी, बिजली की मांग पक्ष के स्वरूप में परिवर्तन की सुविधा के लिए की गई कार्रवाई से है, और इसमें मांग में कोई वृद्धि/कमी, उच्च और निम्न चरम मांग के समय का बदलाव, बिजली खरीद तथा/अथवा वितरण लाइसेंसधारी की लागत को कम करने के उद्देश्य से, आंतरायिक लोड मांगों का प्रबंधन, आदि शामिल होगा;
- (8) "मांग पक्ष संसाधन" का अर्थ है, डीएसएम कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणाम के रूप में खपत (केडब्ल्यूएच) में तथा/अथवा उपलब्ध मांग (किलोवाट/केवीए) में बचत जिसे इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है:
 - (i) क्वांटम (परिमाण) — (केडब्ल्यूएच तथा/अथवा किलोवाट); के रूप में कितना उपलब्ध है
 - (ii) समय — (दिन के किस समय पर, किन दिनों को, किस मौसम में); जब यह उपलब्ध है के और
 - (iii) मूल्य — किस कीमत पर;
- (9) "डीएसएम संसाधन अधिग्रहण" का अर्थ परिणामी ऊर्जा और भार कम करने के लिए, उपभोक्ताओं, ऊर्जा सेवा कंपनियों, निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं, या अन्य संगठनों आदि के माध्यम से, डीएसएम कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी के एक तंत्र से है;
- (10) "ऊर्जा दक्षता उपायों" या "ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम" का अर्थ उपभोक्ताओं के लिए सेवा के एक तुलनीय स्तर को बनाए रखते हुए एक अधिक कुशल तरीके से ऊर्जा का उपयोग करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने की गतिविधियों या कार्यक्रमों से है;
- (11) "ऊर्जा सेवा कंपनी" का अर्थ एक ऐसी कंपनी से है जो 'उपभोक्ताओं को ऊर्जा कुशल और लोड प्रबंधन उपकरण तथा/अथवा सेवाओं को उपलब्ध कराने के कारोबार में है और जिसे ब्यूरो द्वारा मंजूरी दे दी गई है या आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो;
- (12) "मूल्यांकन, मापन और सत्यापन", का अर्थ डीएसएम/ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के अन्य पहलुओं या बाजार के माहौल में गतिविधियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन, मापन, और सत्यापित करने से है;
- (13) "वित्तीय वर्ष" अथवा "वर्ष" का अर्थ किसी अंग्रेजी कलेंडर वर्ष में अप्रैल के पहले दिन से प्रारंभ होकर अगले वर्ष इकतीस मार्च को समाप्त होने वाली अवधि है;
- (14) "लोड प्रबंधन": का अर्थ मांग प्रतिक्रिया कार्यक्रम सहित ऐसी किसी भी कार्रवाई/कार्यक्रम से है जो चरम/उच्च लागत बिजली की मांग को कम करता है या इसे गैर-चरम/कम लागत की बिजली की अवधि के लिए परिवर्तित करता है;
- (15) "लोड रिसर्च" का अर्थ एक ऐसी गतिविधि से है जो माप और विद्युत लोड के अभिलक्षणों का अध्ययन बिजली उद्योग द्वारा सेवित उपभोक्ताओं के लोड अभिलक्षण के सामान्य व्यवहार और प्रवृत्तियों का विस्तृत और विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए की जाती है;
- (16) "तिमाही" का अर्थ, 1 जनवरी से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जुलाई से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की लगातार तीन महीने की अवधि से है।

3. व्याख्या

- (1) इन विनियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो यद्यपि इन विनियमों में विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उनको अधिनियम में निर्दिष्ट है।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो यद्यपि इन विनियमों में अथवा अधिनियम में विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई हैं, परंतु संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन अथवा आयोग द्वारा जारी, राज्य में विद्युत उद्योग हेतु लागू किसी विनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उनको ऐसी विधि/विनियम में निर्दिष्ट है।
- (3) अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के खंड (खंडों) की व्याख्या में किसी भी अंतर के मामले में, इन नियमों के अंग्रेजी संस्करण का पाठ ही आधिकारिक माना जाएगा।

4. डीएसएम उद्देश्य

हर वितरण लाइसेंसधारी संसाधनों के किफायती और कुशल उपयोग के द्वारा, उपभोक्ताओं के साथ ही वितरण लाइसेंसधारी के लिए बिजली की कुल लागत को कम करने के उद्देश्य से डीएसएम संबंधित नीति गतिविधि/कार्यक्रमों को लागू करेगा, जिनमें निम्नलिखित के उपाय/सिद्धांत शामिल होंगे:

- (1) बिजली की मांग को नियंत्रित, कम और प्रभावित करना;
- (2) ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए उपभोक्ताओं को बिजली की मांग के समय और स्तर दोनों के संबंध में उनके बिजली खपत के तरीके में संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित करना;
- (3) उपयोगिताओं की (क) महंगी क्षमता (उत्पादन, पारेषण और वितरण नेटवर्क) में परिवर्धन, (ख) महंगी बिजली खरीद से बचने या कम करने या स्थगित करने में मदद करने के लिए आपूर्ति पक्ष रणनीतियों का पूरक बनना;
- (4) ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके पर्यावरण के नुकसान को कम करना;
- (5) ब्यूरो द्वारा निर्धारित विभिन्न डीएसएम कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों को पूरा करना;
- (6) बाजार में संरचनात्मक या व्यवहार में बदलाव को स्थायी तौर पर प्रेरित करने के लिए रणनीतिक प्रयास करना, जिनका परिणाम ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी, सेवाओं, और प्रथाओं की वृद्धि को अपनाता होगा;
- (7) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और सभी उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में समग्र कमी लाना।

5. डीएसएम मार्गदर्शक सिद्धांत

वितरण लाइसेंसधारी इन्हें करेगा:

- (1) राष्ट्रीय स्तर के, विशेष रूप से ब्यूरो द्वारा प्रोत्साहित प्रयासों के पूरक के रूप में डीएसएम कार्यक्रमों की रूपरेखा, विकास और लागू करना;
- (2) ऐसे डीएसएम कार्यक्रमों को प्रस्तावित और लागू करना: जो कि :
 - (i) लंबी अवधि की बचत प्रदान करें और त्वरित कार्य करें;
 - (ii) लागत प्रभावी हों;
 - (iii) उच्चतम मांग, और उससे संबंधित बिजली की महंगी खरीद को, विशेष रूप से शहरी केंद्रों में कम करने के लिए सहायता करें;
 - (iv) मांग प्रतिक्रिया पहल को शामिल करता हो जिससे कि लोड वक्र को समतल करने के लिए अपने लोड आकार व्यवस्थित करने के लिए उपभोक्ताओं को राजी किया जा सके;
 - (v) उपभोक्ता के परिसर में ऊर्जा दक्षता लाना;
 - (vi) कार्यक्रमों से सभी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ; और

(vii) गैर प्रतिभागियों (जो लोग डीएसएम कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते) और प्रतिभागियों (जो डीएसएम कार्यक्रमों में भाग लेते हैं) दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं पर अनुचित बोझ नहीं डालना;

(3) टिकाऊ लाभ (बाजार सुधार) प्रदान करने वाले डीएसएम कार्यक्रमों को तैयार करना, और निम्नलिखित को बढ़ाना:

- (i) लोड प्रबंधन उपायों और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी अपनाने में उपभोक्ता की रुचि और झुकाव;
- (ii) ऊर्जा दक्षता उपायों के लिए उधार देने में बैंक जैसे बिचौलियों की रुचि और इच्छा, और
- (iii) टिकाऊ ऊर्जा प्रदाय संस्थाओं का उद्भव या विकास।

6. तकनीकी क्षमता, लोड और बाजार अनुसंधान विकास तथा आधारभूत डेटा

- (1) वितरण लाइसेंसधारी, ब्यूरो द्वारा विकसित पद्धति के आधार पर और समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली समय सीमा के अनुसार, अपने लाइसेंस क्षेत्र में डीएसएम के लिए तकनीकी क्षमता के आकलन का कार्य करेगा;
- (2) वितरण लाइसेंसधारी, विशिष्ट ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के लिए बाजार की क्षमता का अनुमान करने, मुख्य प्रदर्शन संकेतक की स्थापना, और आधारभूत बाजार की मौजूदा स्थितियों को निर्धारित करने के लिए बाजार का अनुसंधान करेगा;
- (3) वितरण लाइसेंसधारी, आपूर्ति के अपने क्षेत्र के लिए आधारभूत डेटा विकसित करेगा और उसे इस उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक उपाय करने होंगे:
 - (i) डीएसएम कार्यक्रमों के लिए आवश्यक डेटाबेस का निर्माण करने के लिए लक्ष्य उपभोक्ता खंड (खंडों) की पहचान करने और अंतिम उपयोग के लिए लोड अनुसंधान करना;
 - (ii) कोई भी अन्य गतिविधि, जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।
- (4) आयोग बेस लाइन डाटा के लिए मापदंडों में से किसी/सभी को सत्यापित करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी को नियुक्त कर सकता है।

7. डीएसएम लक्ष्य

- (1) आयोग, समय-समय पर, विनियम 6 के तहत स्थापित बेस लाइन डाटा और उपभोक्ता मिश्रण, लोड प्रोफाइल जैसे कारकों पर विचार के आधार पर वितरण लाइसेंसधारी के लिए डीएसएम लक्ष्य निर्धारित कर सकता है, और उनमें शामिल होंगे:
 - (i) लोड वृद्धि के प्रतिशत में कटौती;
 - (ii) केडब्ल्यूएच में बचत, किलोवाट में लोड की कमी;
 - (iii) लोड को पूरा करने के लिए कुल संसाधनों के प्रतिशत के रूप में बचत;
 - (iv) टैरिफ पर समग्र प्रभाव;
 - (v) लागत परिणामिता सूचकांक

8. डीएसएम प्रक्रिया पर दिशानिर्देश

आयोग, समय-समय पर, डीएसएम प्रक्रिया पर दिशानिर्देश जारी कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- (1) लोड और बाजार अनुसंधान;
- (2) डीएसएम कार्यक्रमों का कार्यान्वयन;
- (3) डीएसएम कार्यक्रमों की लागत परिणामिता का आकलन;
- (4) डीएसएम योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और सूचना;
- (5) डीएसएम कार्यक्रमों के लिए पात्रता मानदंड;
- (6) डीएसएम लक्ष्यों और निधिकरण स्तर स्थापित करने के लिए कार्य पद्धति;
- (7) डेटाबेस विकास की रूप रेखा;

(8) डीएसएम योजना/कार्यक्रमों को तैयार करना;

9. डीएसएम योजना और कार्यक्रम तैयार एवं प्रस्तुत करना और आयोग द्वारा उनका अनुमोदन

- (1) वितरण लाइसेंसधारी एक परिप्रेक्ष्य डीएसएम योजना तैयार करेगा और समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय सीमाओं के अनुसार और निर्धारित अवधि के लिए सैद्धांतिक मंजूरी के लिए उसे आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा;
- (2) परिप्रेक्ष्य डीएसएम योजना में शामिल होंगे:
 - (i) निर्दिष्ट अवधि में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की रूपरेखा बताता हुआ खण्ड
 - (ii) परिप्रेक्ष्य योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक डीएसएम कार्यक्रमों के डीएसएम योजना लागू करने का विवरण युक्त प्रस्ताव और साथ-साथ इसका प्राथमिकता वार विवरण जैसे:
 - a) इन नियमों और समय-समय पर आयोग द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देशों के अनुसार सांकेतिक लागत और इसकी लागत प्रभावशीलता;
 - b) सांकेतिक आधारभूत डेटा और ऊर्जा दक्षता में टैरिफ तथा/अथवा लाभ में अपेक्षित कमी;
 - c) उपभोक्ता वर्ग और भागीदारी के अनुमानित स्तर;
 - d) कार्यान्वयन रणनीति और कार्यक्रम सूची जिसमें प्रक्रिया/निष्पादन के लिए प्रक्रिया तंत्र यथा; ऊर्जा सेवा कंपनियों, डीएसएम परियोजनाओं के लिए बोली, डीएसएम संसाधन अधिग्रहण आदि सम्मिलित है;
 - e) लागत और प्रदर्शन प्रोत्साहन की वसूली के लिए ऋण वापसी की अवधि और तंत्र की उम्मीद;
 - (iii) प्रस्तावित योजना और वार्षिक योजना/कार्यक्रमों की निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग के लिए तंत्र;
 - (iv) उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशालाओं के लिए कार्यक्रम/योजना
- (3) वार्षिक डीएसएम योजना में विभिन्न कार्यक्रमों के चुनाव और प्राथमिकता को कारकों/पात्रता मानदंड के द्वारा निर्देशित किया जाएगा जैसा कि समय-समय पर, आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिसमें शामिल होंगे:
 - (i) समय-समय पर आयोग द्वारा जारी किए गए लागत प्रभावशीलता दिशानिर्देश;
 - (ii) विनियम 4 के तहत निर्धारित डीएसएम उद्देश्य;
 - (iii) प्रस्तावित कार्यक्रमों की स्थिरता; यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह पूरक/ब्यूरो द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों के अनुकूल हैं;
 - (iv) उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता पैदा करने और समग्र स्वीकार्यता के लिए इसकी दृश्यता क्षमता
- (4) विनियम 9(1), के संदर्भ में अनुमोदित परिप्रेक्ष्य डीएसएम योजना के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी विस्तृत अनुमान, आदि के साथ डीएसएम कार्यक्रमों को विकसित करेंगे, और प्रत्येक वर्ष अनुमोदन के लिए उसे आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे;
- (5) विनियम 9(4), के तहत डीएसएम कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते समय वितरण लाइसेंसधारी, इसकी आवश्यकता, आवश्यकताओं, व्यवहार्यता आदि को ध्यान में रखते हुए विनियम 9 (1) के तहत तैयार डीएसएम कार्यक्रमों की प्राथमिकता को संशोधित, हटा/जोड़ सकते हैं
- (6) विनियमन 9(1) के तहत तैयार डीएसएम योजनाओं एवं विनियम और ऊपर 9(4) के तहत तैयार डीएसएम कार्यक्रमों को इन विनियमों के अनुरूप होना होगा, ये यहां निर्धारित उद्देश्यों के साथ ब्यूरो द्वारा घोषित/विकसित प्रासंगिक डीएसएम उपाय और समय-समय पर आयोग द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देशों/ दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।
- (7) वितरण लाइसेंसधारी विनियमन 9(4) के तहत आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी भी डीएसएम कार्यक्रम को लागू नहीं करेगा।

- (8) वितरण लाइसेंसधारी को ऐसी किसी भी गतिविधि को आरंभ करने के लिए जो डीएसएम कार्यक्रमों को बनाने वाला हिस्सा नहीं है, लेकिन लोड अनुसंधान, उपभोक्ता सर्वेक्षण आदि के रूप में डीएसएम योजना के विकास के लिए आवश्यक है, आयोग से अलग से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (9) आयोग, किसी भी समय, डीएसएम उद्देश्यों के साथ स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित या चल रहे कार्यक्रमों में योग तथा/अथवा विलोपन सहित किसी भी संशोधन का निर्देश दे सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में आयोग वितरण लाइसेंसधारी को:
 - (i) इस तरह के संशोधन के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए, और
 - (ii) अगर आवश्यक पाया जाता है तो इस तरह के बदलाव के साथ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय देगा;

10. डीएसएम कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

- (1) डीएसएम कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के तरीके का निर्णय समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (2) वितरण लाइसेंसधारी, यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं के हितों पर कोई समझौता किए बिना हर समय और सभी परिस्थितियों में, डीएसएम कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में निरंतरता और स्थिरता को बनाए रखा गया है।

11. डीएसएम कार्यक्रमों की लागत वसूली के लिए तंत्र

- (1) वितरण लाइसेंसधारी योजना, रूपरेखा और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ जुड़े, यदि कोई हो, शुद्ध वृद्धिशील लागत की पहचान करेगा।
- (2) वितरण लाइसेंसधारी, टैरिफ या किसी भी अन्य तंत्र के माध्यम से शुद्ध वृद्धिशील लागत की वसूली के लिए कार्यप्रणाली प्रस्तावित कर सकता है।
- (3) कोई भी डीएसएम कार्यक्रम लागत वसूली विषय के लिए अर्हता प्राप्त होगा बशर्ते कि समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करे और वितरण लाइसेंसधारी ने:
 - (i) पहले से इसका कार्यान्वयन शुरू करने के लिए विनियम 9 के तहत आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया हो;
 - (ii) अनुमोदन या इस संबंध में जारी किए गए किसी अन्य निर्देशों/दिशानिर्देशों में आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है की स्थिति के अनुसार इसे लागू किया है;
 - (iii) लागत प्रभावी और स्वयं स्थायी तौर पर इसे लागू किया है।
- (4) वितरण लाइसेंसधारी को आयोग, ऐसे डीएसएम कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए निर्देशित कर सकता है जो लागत प्रभावी नहीं हैं, लेकिन समाज के लिए बेहद फायदेमंद हैं। आयोग इस तरह के कार्यक्रमों के लिए संसाधन उपलब्ध कराएगा।

12. डीएसएम कार्यक्रमों की निगरानी और रिपोर्टिंग

वितरण लाइसेंसधारी विनियम 9 के तहत ऐसे डीएसएम कार्यक्रमों का अनुमोदन के समय आयोग द्वारा जारी किए गए और समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकने वाले किसी भी दिशानिर्देश के अनुसार योजना (परिप्रेक्ष्य/वार्षिक योजना) के तहत तैयार सभी डीएसएम कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी और सूचना प्रदान करने का कार्य करेगा

13. डीएसएम कार्यक्रमों का मूल्यांकन, माप और सत्यापन (ईएमवी)

- (1) वितरण लाइसेंसधारी समय-समय पर आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार डीएसएम कार्यक्रमों से होने वाली बचत के मूल्यांकन, माप और सत्यापन के लिए एक तंत्र तैयार करेगा।
- (2) वितरण लाइसेंसधारी डीएसएम कार्यक्रमों से बचत को मापने और सत्यापित करने के लिए आयोग या आयोग द्वारा नियुक्त तीसरे पक्ष को आवश्यक जानकारी/डेटा उपलब्ध कराएगा।
- (3) आयोग पूरी तरह से अपने विवेकाधिकार पर और वितरण लाइसेंसधारी की लागत पर, कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित या कार्यान्वयन के तहत या पूरा किए जा चुके किसी एक/सभी डीएसएम कार्यक्रमों के मूल्यांकन/मापन/सत्यापन

या डीएसएम कार्यक्रमों से संबंधित अन्य विषय पर, जिसे वह उचित समझे एक स्वतंत्र एजेंसी, को नियुक्त कर सकता है, जो किसी ऐसे उपक्रम के साथ संलग्न नहीं है जिसका राज्य में उपभोक्ताओं के हितों के साथ संघर्ष हो सकता है।

14. समापन प्रतिवेदन

- (1) वितरण लाइसेंसधारी प्रत्येक डीएसएम कार्यक्रम की प्रगति और उनके क्रियान्वयन पर हुए संबंधित खर्चों पर आयोग के लिए निम्न प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा:
 - (i) अगली तिमाही के 15 दिनों के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए तिमाही प्रतिवेदन, और
 - (ii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर एक समेकित वार्षिक प्रतिवेदन।
- (2) वितरण लाइसेंसधारी एक विस्तृत कार्यक्रम समापन प्रतिवेदन को तैयार करेगा और इस तरह के कार्यक्रमों के पूरा होने के तीन महीने के भीतर उसे आयोग को प्रस्तुत करेगा।
- (3) कार्यक्रम समापन प्रतिवेदन में, कार्यक्रम का खर्च, उपलब्धियाँ, परिणाम/उत्पादन, बाधाएं/कठिनाइयाँ, जिनका सामना करना पड़ा, यदि कोई हो, निष्कर्ष, सिफारिशों, सीखा गया सबक और आगे के लिए दिए गए सुझाव शामिल होंगे।

15. प्रोत्साहन

आयोग इन विनियमों के विनियम 4 में निर्धारित रूप में डीएसएम उद्देश्यों या उससे अधिक को प्राप्त करने के लिए वितरण लाइसेंसधारियों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है।

16. आयोग की शक्तियाँ

आयोग अपनी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जो उसे मांग पक्ष प्रबंधन के लिए उचित लगती हैं:

- (1) **निर्देश देने हेतु शक्तियाँ:** आयोग समय-समय पर ऐसे निर्देश/दिशानिर्देश/आदेश जारी कर सकता है, जो इन विनियमों को लागू करने हेतु उचित/उपयुक्त विचारित किए जाते हैं।
- (2) **छूट देने हेतु शक्तियाँ:** आयोग सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों के आधार पर, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर अथवा किसी हितधारी व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है।
- (3) **संशोधन हेतु शक्तियाँ:** आयोग को समय-समय पर इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में कुछ जोड़ने, बदलने, संशोधित करने, निलंबित करने, किंचित परिवर्तन करने, सुधार करने या रद्द करने का अधिकार है।
- (4) **आयोग के निहित शक्तियों का बचाव**
 - (i) इन विनियमों में से कुछ भी आयोग की निहित शक्ति को सीमित या अन्य प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकता जिसे आयोग द्वारा न्याय का उद्देश्य पूरा करने के लिए आवश्यक या आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक समझा जाता है।
 - (ii) इन विनियमों में से कुछ भी आयोग को जोकि अधिनियम के प्रावधानों में से किसी को अनुरूप किसी ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोक सकता जो कि विनियमों के प्रावधानों से किसी के साथ विचलन में हो, जिसे आयोग विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, किसी मामले या मामलों के एक वर्ग और लिखित रूप में दर्ज होने वाले कारणों के लिए, मामले या मामलों के वर्ग से निपटने के लिए यह आवश्यक या समीचीन समझे।
 - (iii) इन विनियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आयोग को परोक्ष या अपरोक्ष रूप में, अधिनियम के तहत किसी भी शक्ति का प्रयोग करने या किसी मामलों से, जिसके लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है, को निपटने से रोकें और आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों और कार्यों से उन तरीकों से जो वह उचित समझे, निपट सकता है।

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

Delhi, the 18th November, 2014

Delhi Electricity Regulatory Commission (Demand Side Management) Regulations, 2014

No. F. 17(199)/Engg./DERC/2011-12/C.F.3298/1987.—In exercise of the powers conferred by clause (zp) of sub-section (2) of section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely, the Delhi Electricity Regulatory Commission (Demand Side Management) Regulations, 2014.

CHAPTER 1: GENERAL

1. Short Title, extent and Commencement

- (1) These Regulations may be called the "Delhi Electricity Regulatory Commission (Demand Side Management) Regulations, 2014";
- (2) These Regulations shall be applicable to the Distribution Licensees in the State of Delhi;
- (3) These Regulations shall come into force from the date of its notification in the Official Gazette.

2. Definitions

In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- (1) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) as amended from time to time;
- (2) "Avoided Costs" means the incremental costs avoided by the distribution licensee on power purchases or in distribution on account of implementation of Demand Side Management (DSM) programmes;
- (3) "Baseline data" means the initial consumption and/or demand of electricity for the period prior to implementation of any DSM programme;
- (4) "Bureau" means the Bureau of Energy Efficiency established under sub-section (1) of Section 2 of the Energy Conservation Act, 2001;
- (5) "Commission" means the Delhi Electricity Regulatory Commission as referred to in sub-section (1) of Section 82 of the Act;
- (6) "Cost Effectiveness Index" means an indicator of the attractiveness of any investment in DSM programmes or when compared to the costs of energy produced and delivered in the absence of such an investment;
- (7) "Demand Side Management" (DSM) means the actions of a Distribution Licensee to facilitate change in the pattern of end-use i.e., the demand side of electricity, and shall include any increase/decrease in the demand, shifting the demand between high and low peak periods, managing the intermittent load demands, etc., with the objective of reducing the power purchase and/or Distribution Licensee's costs;
- (8) "Demand-Side Resource" means a saving in consumption (kWh) and/or demand (kW/kVA) available as a result of implementation of DSM programmes, expressed in terms of:
 - (i) Quantum – as to how much is available (kWh and/or kW);
 - (ii) Time – as to when it is available (at what time of day, on what days, in what season); and
 - (iii) The Cost – as to at what cost;
- (9) "DSM Resource Acquisition" means a mechanism for Distribution Licensee to implement DSM programmes through Consumers, Energy Service Companies, manufacturers / suppliers, or other organizations etc., for the resultant energy and load reduction;
- (10) "Energy Efficiency Measures" or "Energy Efficiency Programmes" means activities or programmes to stimulate consumers to use energy in a more efficient manner while maintaining a comparable level of service to the consumers;

- (11) "Energy Services Company" means a company which is in the business of providing energy efficient and load management equipment and/or services to the consumers and is approved by the Bureau or as may be approved by the Commission;
- (12) "Evaluation, Measurement and Verification" means activities to evaluate, measure and verify performance or other aspects of DSM/energy efficiency programmes or their market environment;
- (13) "Financial year" or "year" means the period beginning from first day of April in an English calendar year and ending with the thirty first day of March of the next year;
- (14) "Load Management": means any action/programme, including Demand Response programme, that will reduce or shift demand away from periods of peak/higher cost electricity to periods of non-peak/lower cost electricity periods;
- (15) "Load Research" means an activity embracing the measurement and study of the characteristics of electric loads to acquire a thorough and reliable knowledge of trends, and general behavior of the load characteristics of the consumers serviced by the electrical industry;
- (16) "Quarter" means a period of consecutive three months from 1st January to 31st March, from 1st April to 30th June, from 1st July to 30th September and from 1st October to 31st December.

3. Interpretation

- (1) All other words and expressions used in these Regulations although not specifically defined herein, but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act.
- (2) The other words and expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Act but defined under any law passed by the Parliament or any regulation issued by the Commission, applicable to the electrical industry in the State, shall have the meaning assigned to them in such law/regulation.
- (3) In case of any variation in interpretation of clause(s) of the English and Hindi version, the text of English version of these Regulations shall be authoritative.

4. DSM Objectives

Every Distribution Licensee shall undertake/implement DSM related policy /activity/programmes with an objective to lower the overall cost of electricity to the consumers of the Distribution Licensee as well as the Distribution Licensee, by economical and efficient use of resources, which shall include the measures/principles to:

- (1) control, reduce and influence electricity demand;
- (2) encourage consumers to amend their electricity consumption pattern both with respect to timing and level of electricity demand for efficient use of energy;
- (3) complement supply side strategies to help the utilities to avoid or reduce or postpone a) costly capacity (generation, transmission & distribution network) additions b) costly power purchases;
- (4) reduce the environmental damage by reducing the emission of green house gases;
- (5) supplement national level efforts for implementation of various DSM programmes set out by the Bureau;
- (6) make strategic efforts to induce lasting structural or behavioral changes in the market that shall result in increased adoption of energy-efficient technologies, services, and practices;
- (7) protect the interest of the consumers and shall result in overall reduction in tariff for all the consumers.

4. DSM Guiding Principles

The Distribution Licensee shall:

- (1) design, develop and implement DSM programmes that supplement national level efforts, specifically those promoted by the Bureau ;

4562 D G/14-3

- (2) propose and implement such DSM programmes which shall:
 - (i) be quick acting that provides long-term savings;
 - (ii) be cost effective ;
 - (iii) help to reduce peak demand, and associated costly power purchase, specifically in the urban centers;
 - (iv) include Demand Response initiatives persuading consumers to modulate their load shapes so as to flatten their load curve;
 - (v) bring in energy-efficiency in the consumer's premises;
 - (vi) directly or indirectly benefit the consumers in all segments from the programmes; and
 - (vii) not put undue burden on consumers, both non-participants (those who do not participate in the DSM programmes) and participants (those who participate in the DSM programmes);
- (3) formulate DSM programmes that shall provide sustainable benefits (market transformation), and shall enhance:
 - (i) consumer's interest and inclination in adopting load management measures and energy efficient technology;
 - (ii) interest and the willingness of the intermediaries such as the banks to lend for energy efficiency measures, and
 - (iii) emergence or development of sustainable energy delivery entities;

6. **Technical Potential, Load and Market Research Development and Baseline data**

- (1) The Distribution Licensee shall carry out assessment of technical potential for DSM in its license area, based on the methodology developed by the Bureau, and as per the time lines as may be specified by the Commission from time to time;
- (2) The Distribution Licensee shall undertake market research to estimate market potential for specific energy efficiency technologies and applications, establish key performance indicators, and determine existing baseline market conditions;
- (3) The Distribution Licensee, shall develop Baseline Data for its area of supply and undertake all necessary measures required for the purpose including:
 - (i) load research to identify the target consumer segment(s) and end uses for DSM programmes to build the necessary database;
 - (ii) Any other activity, as may be specified by the Commission.
- (4) The Commission may engage an independent agency to verify any/all of the parameters for the Base Line Data.

7. **DSM Targets**

- (1) The Commission may, from time to time, set out DSM targets for the Distribution Licensee, based on the base line data established under Regulation 6 and considering factors such as consumer mix, load profile etc., and shall include:
 - (i) Percentage reductions in load growth;
 - (ii) Savings in kWh, reduction of load in kW;
 - (iii) Savings as a per cent of total resources to meet the load;
 - (iv) Overall impact on tariff;
 - (v) Cost Effectiveness Index

8. **Guidelines on DSM process**

The Commission may, from time to time, issue guidelines on the DSM process, which may include:

- (1) Load and Market Research;
- (2) Implementation of DSM programmes;
- (3) Cost Effectiveness Assessment of DSM programmes;
- (4) Monitoring and Reporting of DSM Plans and programmes;
- (5) Eligibility criteria for DSM programmes;
- (6) Methodology for setting DSM targets and funding levels;
- (7) Database development framework;
- (8) Preparation of DSM Plan/programmes.

9. **DSM Plan and Programme preparation, submission and approval by the Commission**

- (1) Distribution Licensee shall formulate a perspective DSM Plan and submit the same to the Commission for in-principle approval for the specified period and as per the time lines that may be specified by the Commission from time to time;
- (2) The perspective DSM plan shall include:
 - (i) A section outlining the goals sought to be achieved in the specified period;
 - (ii) Annual DSM Plan for each year of the perspective plan period containing description of DSM programmes proposed to be undertaken and its prioritisation along with programme wise details like:
 - a) indicative cost & its cost effectiveness pursuant to these Regulations and any guidelines issued by the Commission from time to time;
 - b) indicative baseline data and expected reduction in tariff and/or gain in energy efficiency;
 - c) consumer segments and estimated level of participation;
 - d) Implementation strategy and Schedule including process/mechanism for execution e.g. Energy Service Companies, Bidding for DSM Projects, DSM Resource Acquisition, etc.;
 - e) expected payback period and mechanism for recovery of cost and performance incentives;
 - (iii) Mechanism for Monitoring, evaluation and reporting of perspective plan and annual plan/programmes;
 - (iv) Programme/Plan for Training/Seminars/Workshops to increase consumer awareness.
- (3) Selection and prioritisation of various programmes in the Annual DSM Plan shall be guided by the factors/eligibility criteria as may be specified by the Commission from time to time, including:
 - (i) cost effectiveness guidelines issued by the Commission from time to time;
 - (ii) DSM Objectives identified under Regulation 4;
 - (iii) consistency of proposed programmes to ensure that it supplements/ compliments the National level efforts adopted by the Bureau;
 - (iv) its visibility potential for creation of awareness and overall acceptability to the consumers
- (4) As per approved perspective DSM plan in terms of Regulation 9(1), the Distribution Licensee shall develop DSM programmes along with detailed estimate etc., and submit the same to the Commission for approval every year;
- (5) While submitting the DSM programmes under Regulation 9(4), the Distribution Licensee may revise the priority, add/delete the DSM programmes prepared under Regulation 9 (1) keeping in view its necessity, requirements, feasibility etc.

- (6) DSM plans prepared under Regulation 9(1) & DSM programmes prepared under Regulation 9 (4) above, shall be consistent with these Regulations; the objectives set herein; relevant DSM measures developed /announced by the Bureau and in accordance with any directions / guidelines issued by the Commission from time to time.
- (7) Distribution Licensee shall not implement any DSM Programme, without the prior approval of the Commission under Regulation 9 (4).
- (8) Distribution Licensee shall obtain separate approval from the Commission for undertaking any activity, which is not forming part of the DSM programmes, but is essential for development of the DSM Plan such as carrying out load research, consumer surveys etc.
- (9) The Commission may, at any time, direct any modifications, including addition and/or deletions in the proposed or on-going programmes to ensure consistency with the DSM Objectives. In all such cases the Commission shall allow Distribution Licensee adequate time:
 - (iii) to notify the consumers of such modifications; and
 - (iv) for implementation of programmes with such changes, if found necessary;

10. Implementation of DSM Programmes

- (1) The implementation of the DSM programmes shall be undertaken in the manner as may be specified by the Commission from time to time.
- (2) The Distribution Licensee shall ensure that, at all times and under all circumstances, the continuity and consistency in implementation of DSM programmes is maintained without compromising on the interest of the consumers.

11. Mechanism for Cost Recovery of DSM Programmes

- (1) Distribution Licensee shall identify the net incremental costs, if any, associated with planning, design and implementation of the programmes.
- (2) Distribution Licensee may propose methodology for recovery of net incremental costs through tariff or any other mechanism.
- (3) Any DSM programme shall qualify for cost recovery subject to fulfilment of the conditions as may be specified by the Commission from time to time and the Distribution licensee has:
 - (i) obtained approval of the Commission under Regulation 9 prior to commencing its implementation;
 - (ii) Implemented it in accordance with the conditions as may be stipulated by the Commission in the approval or any other guidelines / directions issued in this regard;
 - (iii) Implemented it in a cost effective and self sustainable manner.
- (4) The Commission may direct the Distribution Licensee to undertake DSM programmes that may not be cost effective but is highly beneficial to the society. The Commission will make available resources for such programmes.

12. Monitoring and reporting of DSM Programmes

Distribution Licensee shall undertake monitoring and reporting of progress of all DSM programmes prepared under the plan (Perspective/Annual plan) as may be specified by the Commission while according the approval of such DSM programmes under Regulation 9 and any guidelines issued by the Commission from time to time.

13. Evaluation, Measurement and Verification (EMV) of DSM programmes

- (1) Distribution Licensee shall prepare a mechanism for evaluation, measurement and verification of savings from DSM programmes as per the guidelines as may be issued by the Commission from time to time.

- (2) Distribution Licensee shall make available necessary information/data to the Commission or a third party assigned by the Commission to measure and verify the savings from DSM programmes.
- (3) The Commission, at its sole discretion and at the cost of the Distribution Licensee, may engage an independent agency, which is not undertaking any other engagement that could conflict with the interests of the consumers in the State, for evaluation/measurement/verification or any other matter relating to DSM programmes, as it may deem fit, of any/all of the DSM programmes, whether proposed for implementation or under implementation or completed.

14. Completion report

- (1) The Distribution Licensee shall submit the following reports to the Commission on the progress of each of the DSM programme and respective expenses incurred on their implementation:
 - (i) Quarterly report for each Quarter within 15 days of the next Quarter; and
 - (ii) a consolidated annual report within 30 days of the end of the Financial Year.
- (2) The Distribution Licensee will prepare and submit a detailed programme Completion Report and submit the same to the Commission within three months of completion of such programmes.
- (3) The programme Completion Report shall include the programme expenses, achievements, outcome/output, constraints/difficulties faced, if any, conclusions, recommendations, lessons learnt and suggested way forward.

15. Incentives

The Commission may provide incentives to Distribution Licensees for achieving or exceeding DSM Objectives as identified in Regulation 4 of these Regulations.

16. Powers of the Commission

The Commission may exercise its following powers as it feels expedient for Demand Side Management:

- (1) **Powers to give directions:** The Commission may from time to time issue such directions/guidelines/orders as it may consider deemed fit/appropriate for the implementation of these Regulations
- (2) **Powers to relax:** The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.
- (3) **Powers to amend:** The Commission may from time to time add, vary, alter, suspend, modify, amend or repeal any provisions of these Regulations.
- (4) **Saving of inherent powers of the Commission**
 - (i) Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary for ends of justice or to prevent the abuse of the process of the Commission.
 - (ii) Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Acts, a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
 - (iii) Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission to deal with any matter or exercise any power under the Acts for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

JAYSHREE RAGHURAMAN, Secy.